

बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कम्पनी लि0,

निबंधित कार्यालय, विधुत भवन, बोली रोड, पटना

संकल्प संख्या-T-I/Alleg-56001/2014 १०५ पटना, दिनांक- ३१/०१/१५

श्री अमित कुमार, सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, मोतिहारी के विरुद्ध कम्पनी के आदेश की अवहेलना, कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही के प्रथम द्रष्ट्या प्रमाणित आरोप के लिए कम्पनी के संकल्प सं0 658 दिनांक ०६-०९-१४ द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई जिसमें श्री प्रभात कुमार-II, विधुत अधीक्षण अभियंता, संचरण (ओ० एण्ड एम०), बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कम्पनी लि0, पटना को जॉच पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

जॉच पदाधिकारी ने अपने पत्रांक ०६-०१-१५ के द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसमें उन्होंने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र में वर्णित सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया।

जॉच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन, आरोपी के लिखित बयान एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत श्री अमित कुमार को चेतावनी के साथ विभागीय कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार श्री अमित कुमार, सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, मोतिहारी को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है।
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की हस्ताक्षरित प्रति श्री अमित कुमार, सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, मोतिहारी को हस्तगत कराई जाए।

आदेश से

ह०/-

(के० बी० के० साहनी)
उपमहाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)